कार्यालयः—मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

/पदोन्नति/2016—17/दिनांक 03/05/16

आदेश संख्या/सेवा.अराज./3क(2)/ 552

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली—2014 के भाग—5 भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर—16(1) में
उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाएं—2/19739—40/30 प्रतिशत
पदो0/2015—16 दिनांक 07 अक्टूबर 2015 एवं पत्रांक/सेवाएं—2/556—57/30 प्रतिशत पदो0/2016—17 दिनांक 05 अप्रैल 2016 द्वारा
प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्रा0वि0, सहायक अध्यापक रा0उ0प्रा0वि0 एवं
सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को काउन्सिलिंग के माध्यम से उनके द्वारा
विकल्पित/याचित विद्यालय में सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैण्ड 9300—34800, ग्रेड वेतन 4600) में उनके नाम के सम्मुख
स्तम्भ संख्या—08 में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुये पदोन्नत/पदस्थापित किया जाता है। उक्त
पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में
कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को आगामी
05 वर्ष तक पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

शाखा—महिला

विषय—कला

क्र.सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति	Y क्षेत्र का सेवा गुणांक	पदोन्नत/पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती अलका कुकरेती 96030	रा0उ0प्रा0वि0 लगवालगांव	जौनपुर	टिहरी	18-02-1997	2.129	रा0क0इ0का0 बुग्गावाला (भगवानपुर) हरिद्वार	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(रामकृष्ण उनियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पृ.सं./सेवा.अराज./3क(2)/ 1381—1405 /पदोन्नति/2016—17/दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी
7. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
8. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)
9. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in.
पर भी उपलब्ध है अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारियों से हस्तगत कराना
सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
10. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
11. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
12. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)।
13. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका को
कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का भली—भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें तत्पश्चात सम्बन्धित को कार्यभार
मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों की भी पुष्टि कर लें:—

(क) सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
(ख) प्रथम नियुक्ति तिथि (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून, 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण
कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान 9300—34800, ग्रेड वेतन 4600 में कार्यरत हो।
(ग) शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
(घ) पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित
प्रमाण पत्र अथवा एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त
प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब वे
ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर लें, किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अभ्यर्थी के लिये ऐसा प्रमाण
पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छाया प्रतियों सहित) प्रस्तुत करेंगे।

15. कार्यालय आदेश पंजिका।

(रामकृष्ण उनियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी